राजस्थान सरकार
वित्त विभाग

क्रमांक :प.11(01)वित्त/समन्वय/2018 जयपुर दिनांक 12/04/2019

परिपत्र

विषयः– विभिन्न प्रकरणों/प्रस्तावों/योजनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रशासनिक विभागों द्वारा आवश्यकता होने पर ही पत्रावलियां वित्त विभाग को प्रेषित किया जाना।

वित्त वर्ष 2019–20 हेतु सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को अनुमोदित राशि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। सभी विभाग अब इस राशि का नियमानुसार उपयोग कर सकते हैं। इस क्रम में प्रशासनिक विभागों से वित्त विभाग में प्राप्त पत्रावलियों के शीघ्र निस्तारण एवं जिन पत्रावलियों पर वित्त विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, उनके संबंध में निम्नांकित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. ऐसी पत्रावलियां वित्त विभाग को प्रेषित करनें की आवश्यकता नहीं है –
   (1) जिनके लिए प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष के स्तर से निर्णय लिया जाना है।
   (2) ऐसे प्रकरण /प्रस्ताव जिनके लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है एवं वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं है।
   (3)वित्तीय नियमों के तहत प्रशासनिक विभाग की सक्षमता में है।

2. किराये पर कम्प्यूटर (मशीन विद् मैन) की सेवाओं के उपापन बाबत् यह स्पष्ट किया जाता है कि बीएफसी 2019–20 में यदि इनकी संख्या के लिए स्वीकृति एवं बजट प्रावधान किया जा चुका है तो वित्त विभाग की पुनः स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मानव संसाधनों की सेवाओं का उपापन वित्त (G&T-SPFC) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के अनुरूप ही किया जाए।

3. किराये के वाहन हेतु वित्त (G&T-SPFC) विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि बीएफसी 2019–20 में यदि इनकी संख्या के लिए स्वीकृति एवं बजट प्रावधान किया जा चुका है तो वित्त विभाग की पुनः स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

4. ऐसे मद जो बीएफसी द्वारा clearance on file की शर्त पर स्वीकृत किये गये हैं, पर व्यय वित्त विभाग की सहमति उपरान्त ही किया जावे। बजट नियमावली के अध्याय 20 के अनुसार जिन मदों हेतु बिना शर्त स्वीकृति प्रदान की गई है तथा बजट प्रावधान उपलब्ध है, पर सक्षम स्वीकृति के पश्चात् व्यय किया जा सकता है। प्रशासनिक विभाग की सक्षमता के प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

www.rajteachers.com

5. जिन प्रस्तावों/कार्यो हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध हैं एवं अन्तरिम बजट में घोषणा की जा चुकी है, लेकिन DPR/कार्य योजना/तखमीना आदि तैयार होकर अनुमोदन नहीं हुआ है, शीघ्रताशीघ्र उक्त प्रस्ताव तैयार कर पूर्ण विवरण के साथ सहमति हेतु वित्त विभाग को प्रेषित करावें।

6. पत्रावली वित्त विभाग को भिजवाने से पूर्व उसका विस्तृत परीक्षण विभाग में पदस्थापित राजस्थान लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी से करवाया जावे। उक्त परीक्षण में वित्त विभाग की सक्षमता पाये जाने पर ही संबंधित नियम/प्रावधान का स्पष्ट अंकन करते हुए स्वस्फूर्त टिप्पणी सहित व बजट प्रावधान की स्थिति अंकित करते हुए प्रस्ताव प्रेषित करावें।

7. विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करावें कि लेखानुदान की मांगे वित्तीय वर्ष के प्रथम चार महिनों अर्थात् अप्रैल से जुलाई 2019 के लिए स्वीकृत की गई हैं। अतः तदनुरूप ही नियमानुसार व्यय किया जावे।

8. इसके साथ–साथ प्रशासनिक विभाग पूर्व में जारी वित्त विभाग के परिपत्र प. 17(26)वित्त/समन्वय/2008 दिनांक 17.06.2009 की पालना सुनिश्चित करावें।

(निरंजन कुमार आर्य)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।
4. समस्त अनुभाग, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) सचिवालय जयपुर।
7. समस्त अनुभाग, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय।

12/4/19
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (समन्वय) विभाग

www.rajteachers.com